न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील/डिक्री/टीए/5998/2004/झुन्झुनू
(2) अपील/डिक्री/टीए/6013/2004/झुन्झुनू

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह
2. मातूसिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह
3. मु0 ताजकंवर बेवा बदनसिंह (नाम तर्क)
   समस्त जाति राजपूत निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू।

------वादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1– सुमेरसिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान–
1/1. नैनी कंवर पत्नि स्व0 सुमेरसिंह
1/2. भीमसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह,
1/3. अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह,
1/4. कृष्णसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह,
समस्त जाति राजपूत निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू।
1/5. चॉदकंवर पुत्री स्व0 सुमेरसिंह पत्नि भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी चऊ झोरडा तहसील व जिला नागौर।

2– भंवरसिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान–
2/1. गुलाब कंवर पत्नि स्व0 भंवरसिंह
2/2. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी म0न0 122 छोटा अखाडा पावर हाउस के पास, शीतला माता की डूंगरी, ब्रहमपुरी जयपुर।
2/3. मोहनकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी जाटों की ढाणी चाऊ, नागौर।

3– सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह
4– तेजसिंह पुत्र स्व0 बदनसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5– राजस्थान सरकार।

------प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थित
(1) श्री सोहनपालसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री श्याम बाबू पारीक एवं विरेन्द्रसिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांक :– 20.10.2022**

यह दो अपीलें धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू द्वारा अपील संख्या 114/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 बउनवानी सुमेरसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– चूंकि दोनों अपीलों में एक समान पक्षकार, एक समान विचारणीय बिन्दु होने के कारण एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों को एक साथ निर्णय किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। प्रत्येक अपील में निर्णय की प्रति पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 ने अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद घोषणा, विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती का विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उपयपुरवाटी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा नं0 146 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नं0 96 रकबा 1.62 है0, 97 रकबा 4.95 है0 कुल किता दो रकबा 6.58 है0 तहत तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है। यह भूमि पक्षकारन के पूर्वज धनसिंह की खातेदारी की थी। धनसिंह के तीन पुत्र बेरीसाल सिंह, धोंकल सिंह व बन्नेसिंह हुये। बन्नेसिंह का देहांत धनसिंह के जीवनकाल में ही हो गया एवं बन्नेसिंह व धोंकल सिंह ना–औलाद रहें। बेरीसाल सिंह के एकमात्र पुत्र बदनसिंह हुआ जो धोंकलसिंह के गोद चला गया। बदनसिंह के छः पुत्र हुये जिनमें सुमेरसिंह ने स्वयं को दादा बेरिसाल सिंह के गोद पुत्र बताकर साजिश पूर्वक विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवा ली। शेष 1/2 हिस्सा धोंकलसिंह के गोदपुत्र के रूप में बदनसिंह भूमि के नाम दर्ज हो गया। वास्तविकता में पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में 1/7, 1/7 हिस्सा है। इसी अनुसार काबिज काश्त है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री की जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब

किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2004 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिस पर उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 से अपील सं0 131/2004 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री का निर्णय दिनांक 7–6–2004 खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4– दोनों अपीलों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 विरूद्व न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2004 वाद सं0 97/2002 को उलट कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने न तो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया और न अपीलांट के वाद के कथनों को अर्थात पिथ एवं सब्सटेन्स को ध्यान में रखते हुए अपील निर्णित की। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद खारिज करने के जो संक्षिप्त कारण दर्शाये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं है न विधि अनुसार ही है। रेस्पो0 सं0 1 को विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बेरीसालसिंह का गोद पुत्र होना मानकर विवादग्रस्त भूमि पर काबिज होना माना है जबकि अभिकथनों के आधार पर इस आशय की कोई तनकी कायम नहीं हुई। विद्वान अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि मौखिक बयान व दावे की प्लीडिंग में विभिन्नता है, गलत है। वादीगण/अपीलांट्स जिस प्रकार अपना वाद लेकर आये हैं,

विद्वान अपीलीय न्ययालय ने अपना निर्णय नहीं दिया और अपीलाट्स जिस दादरसी के हकदार थे, उस हद तक वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर त्रुटि की है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 के अनुसार नहीं है। नामान्तरकरण सं0 81 दिनांक 8–5–1966 अनुसार विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय सही है एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय गलत है। विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 अपील सं0 114/2004 के विरूद्व अपीलाट्स/वादीगण ने कोई अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अतः दोनों अपीलें अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 अपील सं0 114/2004 को निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28–05–2004 को यथावत् रखा जावें।

6– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्त रेस्पोडेन्ट नामान्तरकरण सं0 308 दिनांक 10–06–1976 बदनसिंह के वारिसान के नाम खोला गया जिसमें सुमेरसिंह का नाम नहीं है क्योंकि वह गोद चला गया था। भंवरसिंह के वारिसान ने जवाब दिया शपथपत्र सहित जिसमें अंकित है कि 1/5 भाग पर काबिज है। प्रारम्भिक डिक्री गलत है, अंतिम डिक्री इसलिए खारिज की क्योंकि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विवादित आराजी में 1/2 भाग में हमारा कब्जा है। इसलिए सभी सह खातेदारों का कब्जा नहीं माना जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जावें।

7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

8– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर वाटी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2004 से वादीगण का वाद डिक्री किया है।

9– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील

सं0 131/2004 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री का निर्णय दिनांक 7-6-2004 खारिज की गई है।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 81 दिनांक 10-07-1966 ग्राम टोडी ई.एक्स.पी-2 में कॉलम सं0 5 में वैरिसालसिंह पुत्र धनसिंह व बदनसिंह पि0मु0 धोकलसिंह को0 राजपुत सा0देह हि0 बराबर अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023 में बेरीसाल वल्द धनसिंह, बदनसिंह पि0मु0 धोकलसिंह कौ0 राजपूत के नाम का अंकन है तथा ई.एक्स.डी-1 जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2017 में सुमेरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 सा0गुण बदनसिंह पि0 मु0 धोकलसिंह राजपूत हि0 1/2 का अंकन है। स्पष्ट है कि विवादित आराजी धनसिंह के नाम थी जिनके तीन पुत्र बेरीसालसिंह, धूकलसिंह व बनेसिंह हुए जिनमें से धूकलसिंह व बनेसिंह लाऔलाद फौत हो गये तथा बेरीसालसिंह के एक पुत्र बदनसिंह हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण उस बदनसिंह के पुत्रगण है तथा वादिया नं0 3 मु0 ताजकंवर बदनसिंह की धर्मपत्नि है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में सुमेरसिंह प्रतिवादी नं0 1 को बनेसिंह के गोद जाना बताते हुए अधिकार अभिलेख में उसी आधार पर नाम आना बताते हैं जिसका नामान्तरकरण सं0 81 है। प्रतिवादीगण का यह तर्क सही है कि पिछले 30 सालों से सुमेरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज है और लगातार कब्जा काश्त है और यह वाद गोदनामा को रद्द करवाने का नहीं है, जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन यहां यह तथ्य विचारणीय है कि प्रतिवादी सुमेरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख में कैसे आया। वह अपने स्वयं के जवाबदावे में गोद जाने को आधार बताता है तो गोद जाना सिद्ध करना उसका दायित्व बनता है। नामान्तरकरण सं0 81 में भी गोद जाने का कोई उल्लेख ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में नहीं किया है, सिर्फ पटवारी हल्का ने लिखा है कि बेरिसालसिंह की मृत्यु हो चुकी है इनके सुलभी पोता सुमेरसिंह के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक करने से पूर्व जांच करना चाहिए था कि आया बेरिसालसिंह के पोते के नाम नामान्तरकरण क्यों भरा गया? क्या जायन्दा पुत्र या पुत्रियां नहीं हैं तथा उनकी पत्नि है या नहीं, यानि

वारिसान की विस्तृत जांच होनी चाहिए थी। हालांकि यह अपील नामान्तरकरण की अपील नहीं है, धोषणा का दावा है लेकिन विरासत का नामान्तरकरण सं0 81 ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही भरा गया है जो उचित नहीं है।

11- प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व दौराने बहस जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह सिद्व होता है कि विवादित आराजी पुश्तैनी है और उसमें मृतक के सभी वाजिब वारिसान का बराबर का हक होता है और सभी सह खातेदार होते हैं। प्रतिवादीगण का यह तर्क कि पिछले 30 साल से कब्जा काश्त है। सह खातेदारान के मामले में कानूनन मान्य नहीं है। साथ ही घोषणा के वाद में मियाद की बात भी लागू नहीं होती है। अतः प्रतिवादी सुमेरसिंह का गोदनामा सिद्व नहीं होने तथा वादीगण का हक कानूनन प्रतीत होने से विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-05-2004 से वाद वादीगण डिक्री किया जाना वैधानिक व उचित प्रतीत होता है।

12- विद्वान अपीलीय न्यायालय का अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादित आराजी पक्षकारों की पैतृक थी। नामान्तरकरण सं0 81 के द्वारा बेरिसालसिंह के दत्तक पुत्र के नाते अपीलांट काबिज हुआ क्योंकि उसके पिता बदनसिंह उसके दूसरे भाई धोकलसिंह के गोद चले गये थे। अतः दोनों भाईयों की जमीन बेरिसालसिंह व धोकलसिंह की क्रमशः सुमेरसिंह अपीलांट व बदनसिंह रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज हुई। राजस्व रिकार्ड में भी इसी प्रकार इन्द्राज होता रहा और 36 से 38 साल तक यह इन्द्राज कायम रहा। मौके पर दोनों 1/2-1/2 हिस्से पर काबिज हैं। पक्षकारान के बयानों से पुष्टि होती है। राजस्व रिकार्ड से भी इस बात की पुष्टि होती है। मौखिक बयान व दावे की प्लीडिंग में भिन्नता है। अपीलांट मौके पर काबिज काश्तकार है तथा उसका 1/2 हिस्सा की घोषणा अन्य भाईयों के पक्ष में ही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने सहदायिकता तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के नियमों को ध्यान में नहीं रखा। परिणामस्वरूप 6 भाईयों व एक माता के पक्ष में 1/7-1/7 हिस्से की घोषणा कर दी जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड को अवलोकन किये बिना वाद के तथ्यों को देखे

बिना मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये की गई है जो विधि के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अतः अपील सं0 114/04 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 28–05–2004 खारिज किया जाता है।

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष जैसाकि उपर विवेचन किया गया है कि विरासत का नामान्तरकरण सं0 81 ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही भरा गया है, जो उचित नहीं है।

13– जहां तक विद्वान अपीलीय न्यायालय का अपने निर्णय में अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया था लेकिन मौके पर स्वयं तहसीलदार नहीं गया। तहसीलदार ने अपने अधीनस्थ पटवारी को पत्र लिखा और उसके आधार पर पटवारी ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट बनाई जो विश्वसनीय नहीं कहीं जा सकती है। तहसीलदार अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर दोनों पक्षों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव योजना तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

14– विद्वान अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त कथन उचित है। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार ने काउन्टर हस्ताक्षर किये हैं। उक्त रिपोर्ट से यही साबित होता है कि तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट को ही पृष्ठांकित किया है। स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नहीं की है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 5–6–2004 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी तैयार कर प्रेषित किये हैं। विभाजन प्रस्ताव पर तथा नक्शें पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 1955 के प्रावधानों को लागू करने हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी नियम (सरकारी) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप नहीं होने से उचित नहीं है।

15– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–12–2004 आंशिक रूप से

खारिज करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 28–5–2004 वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ल 4 को बराबर हिस्सेदारी का खातेदार काश्तकार घोषित करने के निर्णय की हद तक यथावत रखते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित करने के निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने के निर्णय को यथावत रखते हुए तहसीलदार उदयपुरवाटी से नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाकर तद्नुसार निर्णय पारित करें।

16– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) (आर0डी0मीणा)

सदस्य सदस्य